न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–82 / 2026

	अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–903 / 2026 **1. प्रभु यादव, उम्र करीब–65 वर्ष, पिता–स्वर्गीय कुसुमलाल यादव** **2. बबीता देवी, उम्र करीब–36 वर्ष, पति–प्रमोद यादव, साकिन–पिलुआहा, वार्ड नं0–01, थाना–जदिया, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्तगण।** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
17.07.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **1. प्रभु यादव एवं 2. बबीता देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो जदिया थाना काण्ड संख्या–82 / 2026 अन्तर्गत धारा–**126(2), 115(2), 118(1), 329(4), 109(1), 303(2), 308(4), 303(2), 352, 351(2), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है तथा जिनका यह वाद विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, श्रीमति स्वाति चतुरवेदी, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह को सुना। अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि, सूचक पिन्टु यादव दिनांक 05.05.2026 समय करीब दो बजे दिन में अपने घर पर था कि आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य सह–अभियुक्तगण प्रभु यादव, बबीता देवी अपने–अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, पिस्तौल लेकर आया और अभियुक्त प्रमोद यादव बोले मादर चोद तुम्हारा बाप कहां है, तुम्हारे बाप को बोले थे रंगदारी का रुपया दो लाख पहुंचा देने, क्यों नहीं पहुंचाया कि इतने में उनके पिता आंगन से बाहर आये और बोले कि तुम रंगदार अपने लिये हो, रंगदारी मांगता है, अभी पुलिस को खबर करते हैं कि इसी पर अभियुक्त प्रमोद यादव उनके पिता को जान मारने की नियत से अपने हाथ में लिये फरसा से माथा पर मारा, माथा बीचों–बीच दो फांक हो गया, खून का फबबारा बहने लगा, उनके पिता जमीन पर गिर गये, खून से लथपथ हो गये, इतने में उनकी माता अनिता देवी बचाओ–बचाओ की बात कहकर उनके पिता के देह में लटक गये कि अभियुक्त प्रदीप यादव जान से मारने की नियत से उठाकर चापाकल के पाट पर पटक दिया, जिससे उनकी माता भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वह अपने माता–पिता को उठाकर ईलाज के लिए ले जाने लगा कि सह अभियुक्त प्रभु यादव पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया और कंठ पर लात देकर कंठ को चापने लगा, इतने में बबीता देवी अपने घर से कुदाली लेकर आई और अभियुक्त प्रमोद यादव के हाथ में देकर बोली कि इसी कुदाली से काटकर	लगातार

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–82/2026

लगातार 17.07.2026	आंगन में ही गाड़ दीजिए कि अभियुक्त प्रमोद यादव कुदाली से गर्दन पर मारा कि उनकी माता उनके देह पर गिर गई, तब तक पड़ोस के लोग सब जूटने लगे और बचाने लगे कि उक्त सभी लोग उनके घर में जो भी सामान बक्सा कपड़ा वस्त्र बक्सा में रुपय पच्चास हजार था सब सामान करीब दो लाख का लूट लिया और भाग गया। घटना के बाद वह अपने पिता और माता को पड़ोसी के सहयोग से ईलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज ले गया, जहां ईलाज के बाद स्थिति गंभीर रहने पर सुपौल रेफर किया गया, सुपौल से बेहतर ईलाज के लिए पूर्णियॉ ले गया। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वे लोग निर्दोष हैं तथा उन लोगों के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर प्रस्तुत अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व से जदिया थाना काण्ड संख्या–120/2022 दर्ज है। दोनों पक्षों के बीच पलटा वाद जदिया थाना काण्ड संख्या–83/2026 दर्ज है, जिसे यशोदा देवी द्वारा वर्तमान मुकदमा के सूचक एवं अन्य के विरुद्ध अंकित कराया गया है। धारा–118(1), 109(1), 308, 303(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर प्राथमिकी में अंकित अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। जहां तक धारा–118(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप का प्रश्न है, अभियोजन कथन अनुसार उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्तमान मुकदमा नहीं बनता है। जहां तक धारा–308(4), 303(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप का प्रश्न है, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में उक्त धाराओं का आरोप असत्य पाया गया है। इस मामले का सूचक अभियुक्त प्रभु यादव का भतीजा है। घ ाटना वाले दिन सूचक के पिता ने आवेदकगण के घर के सामने सड़क पर एक नाद रखा था, उस नाद को हटवाने की कोशिश की, जिसके चलते कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान सूचक के पिता नाद पर गिर गये, जिससे उनका सिर फूट गया। आवेदक अभियुक्तगण धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधनों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुय निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पिता एवं माता के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है। अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण पर अपने	

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–82/2026

लगातार 17.07.2026	सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पिता एवं माता के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित होता है कि दोनों पक्ष आपस में खास दियाद है और दोनों पक्षों में जमीन एवं पैंचा में दिये रुपये को लेकर बराबर विवाद होते रहता है, इसी क्रम में यह घटना कारित होने की बात बतलाई गई है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–59 एवं 60 में जख्मीयों के जख्म कड़े एवं भोथरे पदार्थ से कारित होना बताया गया है, जबकि प्राथमिकी में फरसा से जख्म कारित किये जाने की बात कही गई है। हॉलाकि दोनों जख्म सामान्य प्रकृति के हैं। इसके अलावा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक अभियुक्तगण **1. प्रभु यादव एवं 2. बबीता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर आत्मसर्मपण या गिरफ्तारी के पश्चात् मो0–10,000/– रुपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध ा–पत्र बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के अंतर्गत दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश निम्नलिखित शर्तों के साथ दिया जाता है किः– 1. आवेदक अभियुक्तगण के दो जमानतदारों में से एक जमानतदार उनके सगे–संबंधी होगे, 2. आवेदक अभियुक्तगण वाद के अनुसंधान में सहयोग करेगें, 3. आवेदक अभियुक्तगण यदि गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व प्रभावित करते हैं तो अभियोजन को जमानत रद्द करने हेतु निवेदन करने का अधिकार होगा। इस आशय का लिखित वचनबद्धता (Undertaking) विचारण न्यायालय में दाखिल करेंगे। लेखापित ह0/– **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।	